Rems- 2019/00088

न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

अनवान

मुकेश कुमार आदि बनाम् लाधूराम आदि

प्रकरण संख्या–37/2019

प्रकरण–अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

आदेश तारीख	आदेश का विवरण मय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर	आदेश की पालना में की गई कार्यवाही
20-05-19	आज यह पत्रावली प्रार्थी की ओर से जरिये वकील एक प्रार्थना–पत्र धारा 212 आरटीए. के तहत प्रस्तुत करने पर पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। वकील प्रार्थी की प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया तो प्रकरण प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष का प्रतीत होता है तथा अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होने की संभावना है। अतः इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रश्नगत भूमि वाके चक 9 पी तहसील अनूपगढ का पत्थर नं–160/46 मुरब्बा नं0–36 का किला नं–6ता25 में 5.0600 हैक्टर कृषि भूमि की आगामी तारीख पेशी तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं विवादित भूमि में से वादीगण को उनके हिस्से (पैतृक हिस्से) से बेदखल नही करने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। सम्बन्धित को तहरीर/सूचना जारी हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 07/06/2019 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़	
24-5-19	आज यह पत्रावली वादीगण [illegible] के द्वारा प्रा० पत्र पेश करने पर पेश	मुकेश कुमार सतपाल ममता [illegible]

Scanned by CamScanner

मे की गई प्रार्थीगण/या आवेदन लंबित
करने की स्वतंत्रता के साथ प्र० वापिस
लेना चाहता है जो प्रधान की जाकर
प्रदान प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर
प्रा० धारा खाता 212 RTA का प्रकरण/परिवाद
Withdrawn खारिज किया जाता है
पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर
हो नम्बर से कम हो

उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Scanned by CamScanner